

इसे जनाहेत में जारी किया जा रहा है ।

स्थान : जयपुर

उप महाप्रबंधक



राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की महिला आवासीय योजना में विविष्ट पंजीकरण योजना 2024 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग-अ एवं वाटिका आवासीय योजना में विविष्ट पंजीकरण योजना 2024 के अन्तर्गत अल्प आय वर्ग एवं स्ववित्त पोषित योजना 2024 के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग-अ हेतु ऑनलाईन पंजीकरण योजना दिनांक 15.03.2024 से 15.04.2024 तक आरम्भ की गई थी। उक्त योजना में प्राप्त योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण लॉटरी दिनांक 30.07.2024 को प्रातः 11.00 बजे "वेब बेस्ड प्रणाली" द्वारा कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-05, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आवंटन लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्यक्रम का विवरण	दिनांक
1	योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	18.07.2024 सायं 6:00 बजे
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	24.07.2024 सायं 6.00 बजे तक
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	26.07.2024 सायं 6:00 बजे
4	वरीयता निर्धारण लॉटरी का आयोजन	30.07.2024 प्रातः 11:00 बजे से
5	संबंधित कार्यालय	उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर

नोट :- 1. उपरोक्त योजना के योग्य आवेदकों की वरीयता कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से लॉटरी द्वारा मण्डल नियमानुसार किया जावेगा। 2. आवंटन हेतु योग्य आवेदकों की सूची मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb एवं वृत्त-प्रथम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। 3. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं।

राज.संवाद/सी/24/2324

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर